शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-16 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 17-24 अप्रैल 2023 मूल्य पांच रूपए

डॉ.राजीव बिन्दल के पुनः प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने के राजनीतिक मायने

- निगम चुनावों के लिये उत्तर प्रदेश से प्रभारी लाने का अर्थ क्या चुनावी गंभीरता नहीं है
- भाजपा की आक्रामकता में कमी आना क्या बदलाव का कारण नहीं है
- क्या बिन्दल सरकार के खिलाफ आक्रामकता को धार दे पायेंगे?

शिमला/शैल। पूर्व मंत्री और पांच बार विधायक रह चुके डॉ. राजीव बिन्दल का पुनः प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनना राजनीतिक हलकों में एक बड़ा संकेत और संदेश माना जा रहा है। क्योंकि बिन्दल धूमल मंत्रिमण्डल में मंत्री थे लेकिन जयराम सरकार में मंत्री की जगह विधानसभा अध्यक्ष बनाये गये। परन्तु यह अध्यक्षी भी ज्यादा देर नहीं चली और विपिन परमार के लिये इसे छोड़कर पार्टी की अध्यक्षता संभालनी पड़ी। यह पार्टी अध्यक्षता भी ज्यादा देर टिक नहीं पायी। इसी परिदृश्य में विधानसभा के चुनाव हो गये और बिन्दल हार गये। इस हार को यह मान लिया गया कि अब बिन्दल सक्रिय राजनीति से बाहर हो गये हैं। जब उन्हें शिमला नगर निगम के चुनावों में भी कोई बड़ी भूमिका नहीं मिली तो राजनीतिक सक्रियता से बाहर होने के सन्देश पर एक तरह से मोहर ही लग गयी। ऐसे में इसी नगर निगम के चुनाव में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाना अपने में ही कई अर्थ रखता है। इन अर्थों तक पहुंचने के लिये विधानसभा चुनावों से लेकर अब तक जो कुछ प्रदेश की राजनीति में घटा है उस पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है।

विधानसभा चुनावों में प्रदेश भाजपा के पास सबसे बड़ा हथियार डबल इंजन की सरकार होना था। इसी डबल इंजन के सहारे भाजपा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सत्ता में वापसी की थी। इस डबल इंजन का संदेश पुख्ता करने के लिये प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश चुनाव रैलियों के लिये पूरा समय दिया। लेकिन अनुराग के हमीरपुर और बिंदल के गृह जिला सोलन में भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया। यदि जयराम की मण्डी ने दस में से नौ सीटें भाजपा को न दी होती तो शायद कांग्रेस का आंकड़ा पच्चास पहुंच जाता। भाजपा हाईकमान के लिये यह हार अप्रत्याशित थी क्योंकि हिमाचल राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का गृह राज्य था। प्रदेश भाजपा अपनी हार के कारणों पर खुलकर चर्चा तक नहीं कर पायी है। प्रदेश भाजपा कि इस स्थिति को सामने रखकर हाईकमान ने अपने स्तर पर हार के कारण तलाशने का काम किया और भीतरी गुटबाजी को इसका कारण माना जो कि नगर निगम शिमला के टिकट आवंटन में भी खुलकर सामने आ गया है।

यही नहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जिस तरह से पूर्व सरकार के छः माह के फैसले बदलने के नाम पर करीब नौ सौ संस्थान बन्द किये गये। उस पर भाजपा ने बिना कोई समय गंवाये पूरी आक्रामकता अपनाई। प्रदेश के कोने-कोने तक इस मुद्दे को ले गये। उच्च न्यायालय में याचिका तक दायर हो गयी। लेकिन जब सुक्खू सरकार ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की तो भाजपा की आक्रामकता की धार काफी कुन्द हो गयी। उधर सुक्खू सरकार वायदे के बावजूद प्रदेश की आर्थिकी पर श्वेत पत्र नहीं ला पायी। आक्रामकता की धार कुन्द होने से यह संदेश चला गया कि इन हथियारों से नगर निगम शिमला के चुनाव में कोई सफलता मिल पाना कठिन होगा। जबकि कर्नाटक चुनावों से पहले नगर निगम शिमला के चुनाव हो रहे हैं और कर्नाटक चुनावों में भाजपा के कई बड़े चेहरे पार्टी छोड़ कांग्रेस में जा चुके हैं। भाजपा के लिये राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश घातक है। इसलिये कांग्रेस कमजोर, सक्षम नहीं है यह सन्देश देने के लिये किसी कांग्रेस शासित राज्य में कांग्रेस को छोटी-बड़ी चुनावी हार पहुंचाना आवश्यक है। इसके लिये शिमला नगर निगम के चुनावों से बेहतर और कोई अवसर हो नहीं सकता। इसलिये नगर निगम चुनावों में हाईकमान ने उत्तर प्रदेश के विधायक और पूर्व मंत्री को चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा। चुनावों के बीच प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री बदल दिये। यह फेरबदल करके यह सन्देश देने का प्रयास किया गया है कि भाजपा हाईकमान प्रदेश की हर घटना पर अपने तरीके से नजर रख रही है।

इस परिदृश्य में यह देखना रोचक होगा कि डॉ. बिन्दल इतने अल्प समय में भाजपा की आक्रामकता को कैसे धार दे पाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में अभी चार माह के अल्प समय में ही जो कुछ घट गया है उसी पर सरकार को घेरा जा सकता है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर जनता को श्रीलंका जैसे हालात होने की चेतावनी देने वाली सरकार जब पहले बजट सत्र में ही श्वेत पत्र न ला पाये तो उसके वित्तीय फ्रन्ट पर उठाये गये सारे आरोप बेमानी हो जाते हैं। क्योंकि आर्थिकी पर श्वेत पत्र की प्रसंगिकता केवल पहले बजट सत्र में होती है। क्योंकि अगले सत्रों में तो इस मुद्दे पर सरकार के अपने ऊपर सवाल आने शुरू हो जायेंगे। माना जा रहा है कि यदि डॉ. बिन्दल आक्रामकता को धार दे पाये तो सरकार के लिये यह चुनाव भी बहुत आसान नहीं रहेगा।

राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए

शिमला/शैल। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित 26वें दीक्षांत समारोह में 10 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए।

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर दीक्षांत समारोह को संबोधित भी किया और गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की।

दीक्षांत समारोह में 99 विद्यार्थियों को पी.एच.डी. की उपाधि प्रदान की गई, जिनमें 59 छात्राएं एवं 40 छात्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 111 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, जिनमें 34 छात्र एवं 77 छात्राएं शामिल हैं।

इससे पहले, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सभी उपाधिधारकों और स्वर्ण पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति में इस दीक्षांत समारोह का आयोजन हम सबके लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षण संस्थान में ज्ञान अर्जित करना विद्यार्थी जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर है और अब औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत वे इस ज्ञान को व्यावहारिक रूप से अपनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह खुशी की बात है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) द्वारा इस विश्वविद्यालय को पुन: ए-ग्रेड प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय देश का एक अग्रणी संस्थान है और समस्त भारत सहित देश-विदेश से भी विद्यार्थी यहां उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान कार्य के लिए आते हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का गौरवमयी इतिहास है और यहां से शिक्षा अर्जित करने के उपरांत विद्यार्थी राष्ट्र और विश्व स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय

सेवाएं प्रदान कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिकाऊ एवं मज़बूत अर्थव्यवस्था के साथ आज भारत विश्व के समृद्ध राष्ट्रों में शुमार होने की दिशा में अग्रसर हैं। संपूर्ण विश्व भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देख रहा है।

मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस बुराई के विरुद्ध विद्यार्थियों और युवाओं को साथ लेकर व्यापक अभियान शुरू करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह हमारे लिए खुशी के पल हैं कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु देवभूमि हिमाचल प्रदेश पधारी हैं और उनकी उपस्थिति ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की गरिमा को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों को अपने जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और समर्पण भाव से राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं भी इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और उन्होंने इस अवसर पर छात्र जीवन से जुड़ी अपनी स्मृतियां भी साझा की। विश्वविद्यालय के समृद्ध इतिहास पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यहां से शिक्षा ग्रहण कर अनेक छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में राज्य का नाम रोशन किया है।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) द्वारा इसे 'ए' श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रमाण है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार यहां छात्रों एवं शिक्षक वर्ग को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर संभव सहयोग और सहायता प्रदान करेगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेने और समाज के हर वर्ग तक शिक्षा का लाभ सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न शैक्षिक और जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और विश्वास जताया कि विश्वविद्यालय इस लक्ष्य को हासिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने छात्र जीवन में ईमानदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने कहा कि हम सभी आजीवन नया सीखते रहते हैं और विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत भी ज्ञान अर्जन के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।

उन्होंने विद्यार्थियों का आहवान किया कि वे देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेवारियों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएं और त्रुटियों से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य 8 वर्ष इस प्रतिष्ठित संस्थान में बिताए हैं। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल के लिए गर्व की बात है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति को हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट किया।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एस.पी. बंसल ने राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट पढ़ी।

कुलपति ने इस अवसर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर एवं सांसद सुरेश कश्यप को सम्मानित भी किया।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, विधायकगण और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राष्ट्रपति ने ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया

शिमला/शैल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शिमला के समीप छराबड़ा में राष्ट्रपति निवास में विकसित ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। मशोबरा के समीप स्थित राष्ट्रपति निवास जिसे पूर्व में 'प्रेसिडेंशियल रिट्रीट' कहा जाता था, आगामी 23 अप्रैल, 2023 से आगुंतकों एवं पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे अब पर्यटक तथा आमजन भी यहां

का भ्रमण कर सकेंगे और ट्यूलिप गार्डन में स्ट्रांग, गोल्ड, डेनमार्क, वेलेमार्क, जम्बोपिंक और लैपटॉप जैसी ट्यूलिप की विभिन्न किस्मों का दीदार कर सकेंगे।

श्रीमती मुर्मु ने राष्ट्रपति निवास के परिसर का भ्रमण किया तथा अन्य फूलों व पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

उद्घाटन के उपरांत राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी ट्यूलिप गार्डन का भ्रमण किया।

राष्ट्रपति निवास में नेचर ट्रेल और बागीचे भी 23 अप्रैल से प्रकृति प्रेमियों एवं यहां आने वाले अन्य लोगों के लिए खोल दिए जायेंगे। इसके लिए राष्ट्रपति भवन की अधिकारिक वेबसाइट https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर ऑनलाइन बुकिंग करवाई जा सकती है।

राज्यपाल ने विवेकानन्द कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के निकट ब्योलिया में हिमगिरि कल्याण आश्रम द्वारा निर्मित विवेकानन्द कन्या छात्रावास का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमगिरि कल्याण आश्रम हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में जीवन मूल्यों का संरक्षण और संवर्धन का कार्य कर रहा है। उन्होंने संतोष

व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान के माध्यम से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर आवासीय छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य के जनजातीय समाज के सर्वांगीण और समग्र विकास के लिए हिमगिरि कल्याण आश्रम वर्ष 1985 से कार्यरत है। उन्होंने कहा कि यह संस्थान बच्चों को छात्रावास के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण और जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान कर रहा है। उन्होंने छात्रावास के लिए भूमि दान करने वाले स्व. मठा राम को श्रद्धांजलि अर्पित की और विनोद अग्रवाल, नंद लाल शर्मा, स्व. मठा राम की धर्मपत्नी कन्नू देवी एवं भवन निर्माण में सहयोग करने वाले अन्य समाजसेवियों के प्रयासों की सराहना की।

राज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक हिमगिरि कल्याण आश्रम से उत्तीर्ण लगभग 550 विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। उन्होंने किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में कन्याओं के छात्रावास और सोलन, चंबा, शिमला और रामपुर में छात्रों के लिए छात्रावास चलाने के लिए आश्रम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन छात्रावासों में दूर-दराज एवं जनजातीय क्षेत्रों से आने वाले वंचित वर्गों के बालक-बालिकाओं को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और उसके वैदिक ज्ञान का पालन करना हम सबका दायित्व है।

उन्होंने कहा कि हिमगिरी कल्याण आश्रम द्वारा बाल संस्कार केंद्र, श्रद्धा जागरण केंद्र, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और खेल संबंधी अन्य परियोजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है।

राज्यपाल ने हिमगिरि कल्याण आश्रम को कल्याणकारी गतिविधियों के लिए पांच लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

उन्होंने विवेकानंद कन्या छात्रावास के निर्माण में योगदान देने वाले समाज सेवियों को सम्मानित भी किया।

इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय वीरों को समर्पित पुस्तक जनजागृति गौरव का भी विमोचन किया तथा वनवासी वीरों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राष्ट्रपति ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का दौरा किया

शिमला/शैल। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने शिमला के अपने चार

दिवसीय प्रवास के दौरान भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का दौरा किया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति ने संस्थान में पिक्चर गैलरी, पुस्तकालय, तत्कालीन संरक्षित कार्यालयों और मुख्य भवन के प्रांगण का अवलोकन किया।

इस अवसर पर संस्थान की अध्यक्ष प्रो. शशिप्रभा कुमार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति एवं संस्थान के निदेशक प्रो. नागेश्वर राव, उपाध्यक्ष प्रो. शैलेंद्र राज मेहता और सचिव सुब्रत कुमार प्रधान ने राष्ट्रपति का स्वागत किया।

इस अवसर पर मिनिस्टर इन वेटिंग, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चण्डीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की और उनके साथ विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर सारगर्भित चर्चा की।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल पर नहीं अपितु प्रदेश में कार्यरत लगभग 172 जल विद्युत परियोजनाओं पर विद्युत उत्पादन पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल उपकर के विषय में भ्रांतियों का निवारण ही आज की बैठक का उद्देश्य है।

जल उपकर के विषय में बैठक

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अवगत करवाया कि हिमाचल सरकार की ओर से हिमाचल में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं पर लगाए जाने वाले उपकर से हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा लगाया जाने वाला जल उपकर, में सार्थक चर्चा की गयी।

बैठक में रेणुका बांध परियोजना तथा हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड की संयुक्त किशाऊ जल विद्युत परियोजना पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदि बद्री परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में भी चर्चा की गयी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विभिन्न संयुक्त परियोजनाओ के कार्यान्वयन में अनावश्यक देरी जहां एक ओर परियोजना की लागत को बढ़ाती है वहीं परियोजना के लाभ देरी से मिलने से योजना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के विषय में दोनो राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक कर भावी नीति निर्धारित करेंगे।

उन्होंने हरियाणा को हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं तथा ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश करने का न्यौता दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में निवेश दोनों राज्यों के लिए हितकारी सिद्ध होगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि जल विद्युत परियोजनाएं भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ पर्यावरण हितैषी भी हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में निवेश पर सार्थक विचार किया जायेगा।

बैठक में अंतरराज्यीय सीमा पर भू-संबंधी विषयों पर भी चर्चा की गयी।

मुख्यमंत्री ने ड्रोन उपयोग के लिए नियम प्रस्तुत करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों की सुविधा और निगरानी

व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर ड्रोन सक्षम शासन शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ड्रोन कंपनी के सहयोग से चंबा, कुल्लू और मंडी जिलों में चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित परीक्षण किया है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने विभाग को 15 दिनों की समयावधि के भीतर ड्रोन के उपयोग के संबंध में प्रस्तावित नियम प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन संचालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल एजेंसी होगी और संबंधित जिलों के उपायुक्त ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने के इच्छुक संबंधित विभाग को सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि उपायुक्त ड्रोन हब विकसित करने के लिए स्थानों को चिन्हित करेंगे और इससे विभागों के कामकाज में भी दक्षता आएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, विद्युत आपूर्ति लाइनों के पर्यवेक्षण, कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य, सड़क संबंधी निगरानी, पर्यटकों की आवाजाही की निगरानी, अवैध खनन और पेड़ों की अवैध कटाई जैसे क्षेत्रों की निगरानी में ड्रोन प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि यह तकनीक विशेषकर राज्य के बर्फीले क्षेत्रों में अधिक उपयोगी साबित होगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व, वन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तकनीकी शिक्षा और शिक्षा विभाग के 68 अधिकारियों सहित 189 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का पहला ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल आईटीआई शाहपुर में संचालित किया जा है और ड्रोन तकनीशियन कोर्स सात राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों मंडी, सिरमौर, शिमला, कांगड़ा, सोलन (2 आईटीआई) और कुल्लू जिलों में शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री ने विभाग की विभिन्न नवाचार पहल की भी समीक्षा की और लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर विभिन्न विभागों की सभी हेल्पलाइनों को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प-1100 हेल्पलाइन के साथ एकीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग को राज्य के डिजिटल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। राज्य सरकार लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न सेवाओं में नवीनतम तकनीक शामिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक विनय कुमार, नीरज नैय्यर, अजय सोलंकी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी अभिषेक जैन, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी मुकेश रेपसवाल और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध होगीं विश्व स्तरीय सुविधाएं: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला मण्डी के श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय

चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक में एमबीबीएस चिकित्सकों के प्रथम दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने प्रथम बैच के चिकित्सकों को इंटरनशिप सर्टिफिकेट प्रदान किए। उन्होंने विद्यार्थियों की मांग पर चिकित्सा महाविद्यालय में खेल मैदान तथा अतिरिक्त हॉस्टल का निर्माण करने के लिए महाविद्यालय प्रबन्धन को भूमि का चयन करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में चिकित्सकों को भी चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है और मेहनत के बाद ही सफलता हासिल होती है। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के सीमित अवसर होने के बावजूद राज्य सरकार चिकित्सकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान में तकनीकी बदलावों के दृष्टिगत चिकित्सकों को नई तकनीक अपनाकर आगे बढ़ना होगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसन बना रही है, जिसके तहत चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ आठ घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे। इससे आपातकालीन सेवाओं में गुणवत्ता बढ़ने के साथ-साथ चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टॉफ स्वस्थ भी रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के चार चिकित्सा महाविद्यालयों शिमला, टांडा, नेरचौक, हमीरपुर में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने जा रही है। शिमला और टांडा चिकित्सा महाविद्यालयों में लेटेस्ट पैट स्कैन और सीटी स्कैन की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चिकित्सा महाविद्यालयों में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और राज्य सरकार इस पर गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। हमीरपुर में कैंसर का आधुनिक अस्पताल निर्मित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन का गठन किया है, जिससे सरकारी खरीद में पारदर्शिता आएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पेयजल की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास कर रही है और प्रदेश की सभी पेयजल योजनाओं में चरणबद्ध तरीके से यूवी आधारित वॉटर प्यूरिफाइर की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आईजीएमसी महाविद्यालय, शिमला ने देश को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक प्रदान किए हैं। आईजीएमसी से शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त चिकित्सक दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालय संजौली के सीएसए का चुनाव जीता और 17 वर्ष की आयु में वह सीआर बने थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बिताए दिनों को भी याद किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि विद्यार्थी के जीवन में कॉलेज का समय महत्वपूर्ण होता है। सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए काफी प्रयास किए हैं और आज यहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे आम लोगों को भी सुविधाएं मिल रही हैं।

राज्यपाल ने बलजीत कौर का कुशलक्षेम जाना

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भारत की प्रसिद्ध पर्वतारोही बलजीत कौर से दूरभाष पर बात कर उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने बलजीत कौर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला की निवासी है। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल के लोगों को उन पर गर्व है और उनका साहस दूसरों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की दुआएं उनके साथ सदैव रहेंगी।

नेपाल में अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ाई के दौरान बलजीत कौर के लापता होने की सूचना मिली थी।

मुख्यमंत्री ने प्रवासी हिमाचलियों से पर्यटन को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। इंग्लैंड स्थित ब्रिटिश हिमाचल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद

किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंग्लैंड में बसे प्रवासी हिमाचलियों से राज्य में पर्यटन व अन्य क्षेत्रें में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवोन्मेषी पहल कर रही है।

सोसाइटी के प्रतिनिधि अवनीष और रितु ने मुख्यमंत्री को ब्रिटिश हिमाचल सोसाइटी द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि सोसाइटी द्वारा गत 15 अप्रैल को लंदन में 76वां हिमाचल दिवस भी मनाया गया। सोसाइटी प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

अहंकार उसी को होता है, जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति, दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। ..... आचार्य चाणक्य

सम्पादकीय

मलिक के ब्यान पर प्रधानमन्त्री चुप क्यों?

फरवरी 2019 में घटे पुलवामा प्रकरण पर जो जानकारी तत्कालीन राज्यपाल सत्य पाल मलिक के दी वायर में आये एक साक्षात्कार के माध्यम से सामने आयी है उसने पूरे तन्त्र को सवालों में लाकर खड़ा कर दिया है। पुलवामा में सेना के काफिले में सेन्ध लगाकर घुसी एक गाड़ी में हुए विस्फोट से सी.आर.पी.एफ. के चालीस जवान शहीद हो गये थे। इस दुर्घटना को पाकिस्तान की नापाक हरकत करार दिया गया और इसका बदला बालाकोट में लिया गया। बालाकोट को ''घर में घुसकर मारा'' से देश का गुस्सा कुछ शान्त हुआ था और इसी से पूरा चुनावी परिदृश्य बदल गया था। लेकिन अब जम्मू-कश्मीर में उस समय राज्यपाल रहे सत्य पाल मलिक के साक्षात्कार से यह सामने आना कि यह सब हमारे तन्त्र की चूक के कारण हुआ है। पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। मलिक के मुताबिक सी.आर.पी.एफ. के इस ''कानवाई'' के लिए पांच हैलीकॉप्टर मांगे थे जो उसे नहीं दिये गये। उस क्षेत्र में यह आर डी एक्स से लदी गाड़ी कई दिनों से घूम रही थी जिस पर किसी ने कोई सन्देह नही किया गया। पुलवामा की मुख्य सड़क से मिलने वाले संपर्क मार्गों की कोई नाकाबन्दी नहीं की गयी थी। मलिक उस समय राज्यपाल थे और उनके पास यह सारी आधिकारिक जानकारी रही होगी। फिर जब पुलवामा घटा था तब भी मीडिया के कुछ हिस्से में यह सवाल उभरा था कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में इन जवानों को हैलीकॉप्टर से क्यों नहीं ले जाया गया था।

मलिक ने अपने साक्षात्कार ने यह भी कहा है कि उन्होंने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को इस चूक से अवगत करवाया था परन्तु उन्हें प्रधानमन्त्री और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपनी जुबान बन्द रखने के लिये कहा था। अब जब मलिक का यह साक्षात्कार सामने आया है तब इस पर पूर्व सैनिक अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल शंकर राय चौधरी ने इसकी जांच किये जाने की मांग की है। बहुत सारे पूर्व सैनिक अधिकारी इस पर प्रधानमन्त्री से सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि अपनी ही चूक से अपने ही जवानों की जान चली जाये तो निश्चित रूप से इसका सेना के मनोबल पर असर पड़ेगा। प्रधानमन्त्री इस पर चुप हैं। गृहमन्त्री अमित शाह की यह प्रतिक्रिया आयी है की मलिक जब राज्यपाल थे तब क्यों चुप रहे। मलिक का ब्यान कोई राजनीतिक ब्यान नही है वह तब के राज्यपाल हैं। इस पर सीधा जवाब आना चाहिये कि यह सच या झूठ है। यह देश और सेना दोनों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इस पर प्रधानमन्त्री की चुप्पी कई और सवाल खड़े कर देती है।

मलिक के इस साक्षात्कार के बाद जिस तरह से सीबीआई ने एक इन्शयोरैन्स के मामले में उन्हें तलब किया है और उनके यहां एक गैर राजनीतिक आयोजन पर जिस तरह दिल्ली पुलिस ने कारवाई की है उससे न चाहते हुए भी यह सन्देश चला गया है कि सरकार उनसे डर रही है। क्योंकि मलिक किसान आन्दोलन के दौरान कितने मुखर थे यह पूरा देश जानता है। अभी उनके आवास पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की खाप पंचायतों के नेता और दूसरे किसान नेता आये थे उससे उनकी लोकप्रियता का अन्दाजा लगाया जा सकता है। मलिक के ब्यान का जवाब सीबीआई की सक्रियता नहीं हो सकती न ही इस पर ज्यादा देर तक चुप रहा जा पायेगा।

वक्फ संपत्तियों को माफियाओं के चंगुल से निकालने की कवायद को राजनीतिक रंग न दें

गौतम चौधरी

विगत दिनों भारतीय समाचार माध्यमों में वक्फ की खबरें खूब सुर्खियां बटोरी। वक्फ पर कई आरोप भी मढ़े गए और कई ऐसी खबरें भी चलाई गयी जो वक्फ के अस्तित्व को चुनौती देने वाली थी। आज हम उन्हीं खबरों की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। वक्फ शब्द का शाब्दिक अर्थ समर्पित होता है। मुसलमान, धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए अपनी संपत्ति का एक हिस्सा समर्पित करते हैं। भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्डों की स्थापना की गई और उनके पंजीकरण और उपयोग की निगरानी और विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई है। वक्फ संपत्तियों का उपयोग कर अमूमन सार्वजनिक कल्याण के लिए कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसे, अनाथालय, अस्पताल, क्लीनिक और शैक्षणिक संस्थान बनाए जाते हैं। हालांकि, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों सहित लगभग सभी धर्मार्थ संस्थान सभी धर्मावलंबियों के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। इसमें जाति या धर्म का कोई बैरियर नहीं होता।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 2017 की शुरुआत में मीडिया को बताया था, ''जब से वक्फ बोर्डों की स्थापना हुई है, तब से खाली संपत्तियों का एक मुद्दा रहा है, जिसे मैं वक्फ माफिया कहता हूं।'' इन संपत्तियों पर मुसलमानों के लाभ के लिए मॉल, शैक्षिक संस्थान, छात्रावास और कौशल केंद्र बनाये जायेंगे। एक नजर उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर अगर डाले तो पता चलता है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश राज्य में 1.5 लाख से अधिक संपत्तियों का मालिक है, जबकि शिया वक्फ बोर्ड 12,000 से अधिक संपत्तियों का मालिक है। सीडब्ल्यूसी को यूपी वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन के बारे में उत्तर प्रदेश से कई शिकायतें मिलने के बाद, उत्तर प्रदेश और झारखंड वक्फ बोर्डों के प्रभारी सैयद एजाज अब्बास नकवी ने तथ्यों की जांच के लिए एक जांच समिति का बनाई और खुद की निगरानी में जांच भी किया। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से बताया कि कैसे एक मंत्री के रूप में आजम खान ने कथित तौर पर वक्फ बोर्ड के तहत संपत्ति हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। यह दावा किया गया था कि आजम खान ने मौलाना जौहर अली एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना की और वक्फ संपत्तियों से फंड ट्रांसफर किया। रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों पर किराया संग्रह रिकॉर्ड के रखरखाव में विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नवंबर 2020 में दो मामलों को अपने हाथ में लिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचा, खरीदा और स्थानांतरित किया।

दरगाह बाबा कपूर की वक्फ संपत्ति उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर 550 गांवों में फैली हुई है। हालांकि, लोगों द्वारा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए धन संचय के लिए बार-बार याद दिलाने के बावजूद, वहां की वक्फ बोर्ड एक पैसा नहीं दान करती है। वक्फ बोर्ड के संचालन के तरीके से लोग असंतुष्ट हैं। कुछ मामलों में, उत्तर प्रदेश में, वक्फ बोर्ड ने एक मॉल के लिए स्थानीय राजनेताओं को कब्रिस्तान की जमीन बेच दी, जिससे मुसलमानों में आक्रोश अभी भी बरकरार है। जमीन बिक्री की आय पूरी तरह से बोर्ड के सदस्यों के पास चली गई, जो आपस में अच्छी तरह से मिले हुए थे (जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट में दावा किया गया था)। समाचार पत्रों के अनुसार, ''कई राज्य बोर्डों पर हाल के वर्षों में वक्फ भूमि को डेवलपर्स और निजी खरीदारों को कम दरों पर बेचने का आरोप लगाया गया है।'' इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार ''ए एन जैदी ने ठाकुरगंज में मोती मस्जिद, महानगर में श्मशान घाट, लाई बाग में इमामबाड़ा और प्रयागराज में छोटा कर्बला सहित छह प्रमुख वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। यह भी दावा किया कि प्रयागराज में गुलाम हैदर इमामबाड़ा का एक बड़ा हिस्सा अवैध रूप से भू-माफियाओं को बेच दिया गया था और कुछ क्षेत्रों को किराए पर दे दिया गया था।''

2005 में केन्द्र सरकार ने ''भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति'' पर एक जांच समिति बनाई। समिति की अध्यक्षता का जिम्मा न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर को सौंपा गया था। इस समिति में कुल सात सदस्य नियुक्त किए गए। समिति ने 2006 में अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें सिफारिश की गई कि वक्फ बोर्डों को दुरूस्त किया जाए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा अधिगृहित संपत्तियों की कड़ी निगरानी का भी अनुरोध किया है। रिपोर्ट में दी गई किसी भी सिफारिश को अभी तक लागू नहीं किया गया है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएएमएसआई) पोर्टल की शुरुआत ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसने चीजों को आगे बढ़ाया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ संपत्तियों पर डेटा एकत्र करने के लिए (डब्ल्यूएएमएसआई) पोर्टल बनाया है। फरवरी 2023 तक, सिस्टम में 8.69 लाख से अधिक अचल संपत्तियों का डेटा दर्ज किया गया जा चुका था।

कई राज्यों में भ्रष्ट राजनेता, पुलिस, नौकरशाह और भू-माफिया लंबे समय से वक्फ की संपत्ति पर कब्जा जमाकर बैठे हैं। अधिकारियों की जेब भरने के लिए पैसे के बदले संपत्ति लीज पर दिया जाता है। इसलिए वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कि वक्फ संपत्तियों के मसले को राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि निष्पक्ष नजरिए से देखा जाए। इससे वक्फ बोर्डों और गरीब मुसलमानों को ही नहीं देश के अन्य समुदायों के गरीब जनता को भी फायदा होगा। यही नहीं मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रसार हेतु स्कूल और कॉलेज के लिए अधिक भूमि उपलब्ध होगी और वक्फ बोर्डों की कमाई बढ़ेगी, जिसका उपयोग मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए किया जा सकेगा है।

भाजपा ने किया नगर निगम शिमला चुनाव का मेनिफेस्टो लॉंच, जनता से किये 21 वादे

शिमला/शैल। भाजपा ने अपना दृष्टि पत्र जनता के समक्ष रखा इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा शिमला नगर निगम के चुनाव 2 मई 2023 को होने जा रहे हैं। आप सभी एक बार फिर अपने शहर की बेहतरी प्राकृतिक सौंदर्य, गरिमा व वैभव युक्त प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए अपना मतदान करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में गत चार माह पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार झूठी गारंटियां देकर और जनता को गुमराह करके सत्ता में आयी है और आते ही डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेल, बिजली, पानी एवं कूड़े की दरों में अत्यधिक वृद्धि करके जनता के उपर भारी बोझ डाल दिया है जिसके कारण चार माह के अंतराल में ही वतर्मान सरकार के प्रति लोगों का मोह भंग हो गया है और लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।

हमने नगर निगम शिमला की प्रतिष्ठा व गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा व शिमला की विरासत को संजोये रखने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिपत्र तैयार किया है जो समाज के हर वर्ग के लिए सर्वस्पर्शी व दूरदृष्टि दृष्टिपत्र है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे किये गये कार्यों व भविष्य की योजनओं को ध्यान में रखकर तथा पिछले 5 वर्षों तक जनता की सेवा में किये गये कार्यों के आधार पर हमारी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देंगे।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और अपने दृष्टिपत्र को अक्षरश: पूरा करेंगे, न झूठी गारंटी – न हवाई किले, शिमला को हर सुविधा समय पर मिले।

दृष्टि पत्र नगर निगम शिमला चुनाव 2023 का विमोचन भाजपा

प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सुखराम चौधरी, त्रिलोक जम्वाल, बलबीर वर्मा, चेतन ब्रागटा, संजय सूद द्वारा किया गया।

जयराम ठाकुर ने दृष्टि पत्र पड़ते हुए कहा शिमला ब्रिटिश काल से ही देश की राजधानी रही है, और पूरे विश्व में इसकी एक अलग पहचान है। किसी समय शिमला की जनसंख्या 15 – 20 हजार थी लेकिन समय के बीतते आज शिमला की जनसंख्या 2. 50 लाख के करीब हो गयी है। बढ़ती जनसंख्या तथा आधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता हर नगरवासी की आवश्यकता है। गत समय में हमारी पार्टी की सरकार ने शिमला को 'हिल्ज क्वीन' बनाने के लिये बहुत प्रयास किये हैं। हिमाचल प्रदेश को शिमला और धर्मशाला, 2 स्मार्ट सिटियों के लिए लगभग 6500 करोड़ रू की राशि मिली। स्मार्ट सिटी के मिलते ही शिमला शहर का रूप ही बदल गया और शहरवासियों की अधिकतम जरूरते भी पूरी हुई हैं। पानी की व्यवस्था में बहुत सुधार आया है। साफ – सफाई में और कूड़ा प्रबधंन भी चैक – चैबंद हुआ है।

अब इन नगर निगम चुनावो में हम बहुआयामी व जनता को सुविधा देने वाला एक दृष्टिपत्र लेकर आये हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि शिमला नगर निगम में सत्ता में आने के बाद हम निम्नलिखित कार्य व जनसुविधायें प्रदान करेंगे।

1. 2000 लीटर तक प्रति माह पानी का बिल नहीं आयेगा।

2. शहरवासियों को टैक्सों के जाल से मुक्ति, ''एक निगम एक टैक्स'' प्रणाली लागू करेंगे,। वतर्मान में कूड़ा बिलों को 50: तक माफ करेंगे।

3. हर वार्ड/मोहल्ले में सुलभ शौचालय बनाकर जनता को सुविधा देंगे।

4. पार्किंग हर मोहल्ले में होगी और गाड़ी व्यवस्थित पार्क होंगी।

5. हमारी पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार गरीब ढारा मालिकों को 2 बिस्वा तक जमीन में बने ढारों का अधिकार ''जहां ढारा, वहीं मकान'' देगी।

6. खतरनाक पेड़ों को समयबद्ध ढंग से हटाने का अधिकार नगर निगम को होगा।

7. हमारी सरकार ने बिजली के मीटरों को बिना एनओसी के मीटर लगाने का निणर्य लेकर लाखों लोगों को सुविधा दी है, उसी आधार पर पानी के मीटरों के लिए भी एनओसी नहीं होगा।

8. दुकानों के लाइसेंस की फीस की विशमताओं को समाप्त करेंगे एवं एक दुकान एक युनिट की व्यवस्था लागू होगी और एक ही लाइसेंस होगा।

9. नशामुक्ति के खिलाफ जन आन्दोलन चलायेंगे तथा शिमला की जनता को जागरूक भी करेंगे।

10. हर वार्ड के हर मुहल्ले में 'ओपन जिम' लगायेंगे जिससे समाज के हर वर्ग को स्वस्थ व सुदृढ़ बनाएंगे।

11. सारे नगर निगम क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरे के अन्तगर्त लायेंगे, जिससे अपराधों पर नजर रखी जायेगी व अपराधियों को पकड़ कर कानून के शिकंजे में लायेंगे।

12. आवारा कुत्तों व बंदरों के बढ़ते मामलों व इनके आक्रमक होने से जनता को आ रही परेशानी को दूर करने के लिये एक टास्क फोर्स बनायेंगे जो वतर्मान व्यवस्था में परिवतर्न कर ठोस उपाय करेंगे। एनजीओ व अन्य सामाजिक संस्थाओं को षामिल करेंगे।

13. शिमला नगर निगम क्षेत्र में और स्थान चयनित कर रैन बसेरा और लेबर हॉस्टल बनाने का प्रयास करेंगे जिससे दिहाड़ीदारों, मजदूरों और अपना रोजगार करने वालों को आश्रय मिल सकेगा।

14. शिमला नगर कि विभिन्न स्थानों पर मैरेज पैलेस (शादी घरों) का निमार्ण करेंगे जिसमें सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध होगी।

15. सोलर सिस्टम को बढ़ावा देंगे तथा यथासंभव अधिकतर छतों पर सोलर पैनल सबसीडि के आधार लगायेंगे।

16. भाजपा सरकार की योजना के अनुसार दाड़नी के बगीचे में बनाई जाने वाली सब्जी मण्डी – अनाज मण्डी के कार्य को गति देते हुये जल्दी पूरा करेंगे।

17. सभी वार्डों में ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित करेंगे जिससे गंदे पानी का रिसाव सावर्जनिक स्थलों पर न जा सके।

18. शिमला नगर निगम के वरिष्ठ नागरिकों व बुद्धिजीवियों की एक समिति महापौर की अध्यक्षता में बनायेंगे जिसे यह अधिकार होगा, कि उनके सुझावों पर नगर निगम कार्य करें तथा दिये गये सुझावों पर सरकार विकास के कार्यों के लिये धन आपूर्ति के लिए वाध्य होगी।

19. केन्द्र सरकार की 1546 करोड़ की बहुअयामी योजना 'पवर्तमाला योजना' को कायार्न्वित करने के लिए ठोस प्रयास केरेंगे जिससे स्थानीय नगारिकों और पयर्टकों को काफी लाभ होगा।

20. शिमला नगर के अंतिम छोर अथार्त प्रत्येक गांव तक पर स्थित सभी गांवों तक एम्बुलेंस रोड़ बनाएगें।

21. शिमला निगम क्षेत्र में सभी 'फायर डाइड्रेंटस' को क्रियाशील करेंगे ताकि कभी भी होने वाले अग्निकांड में शीघ्र काबू पाया जा सकेगा।

आउटसोर्स कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हेतु अनुबंध में छः वैधानिक दायित्वों को शामिल किया गया

सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स आधार पर लगे संविदा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हेतु अनुबंध में वैधानिक दायित्वों को शामिल करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सचिवों से अनुरोध किया गया।

शिमला। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में अनुबंधित श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु भारत सरकार के कार्यालयों में आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से जन शक्ति को काम पर रखने के अनुबंध में जी एम सरकारी विपणन पोर्टल पर छ: वैधानिक दायित्वों को शामिल किया गया। राज्यों और संघ शासित प्रदेश के सचिवों और प्रशासकों को भेजे अपने पत्र में केंद्रीय श्रम सचिव आरती आहूजा ने ठेके के माध्यम से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कार्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन भत्तों में अनाधिकृत कटौती के कारण कम भुगतान के बारे में चिंता व्यक्त की है। आगे उन्होंने ठेका एजेंसियों द्वारा श्रमिकों के वेतन भुगतान में देरी और पीएफ और एसआईसी के अंशदान के कम जमा होने पर भी चिंता व्यक्त की।

राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कार्यालयों में बाहरी ठेकों पर लगे कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए केंद्रीय श्रम सचिव ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों/प्रशासकों के अपने अनुबंध में निम्न वैधानिक दायित्वों को शामिल करने की सलाह दी है, ताकि कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहें।

➪ जेंसियों द्वारा समय पर ईपीएफ और एसआई सी अंशदानों का अनिवार्य भुगतान।

➪ सेवा प्रदाता/ठेकेदार, सरकार द्वारा निश्चित किए गए न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

➪ सेवा प्रदाता/ठेकेदार कर्मचारियों के वेतन से कोई अनाधिकृत कटौती नहीं करेगा।

➪ ठेका श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 के अनुसार सेवा प्रदाता या ठेकेदार संविदा कर्मचारियों के समय पर भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। प्रमुख नियोक्ता/खरीदार ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों के समय पर वेतन भुगतान को सुनिश्चित करेगा। यदि सेवा प्रदाता/ ठेकेदार समय पर कर्मचारियों के वेतन भुगतान में असफल रहता है या कम भुगतान करता है, तो मुख्य नियोक्ता या खरीददार सीधे कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर के सेवा प्रदाता या ठेकेदार से राशि वसूल करने के लिए उत्तरदायी होगा।

➪ सेवा प्रदाता/ठेकेदार कर्मचारियों को बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अनुसार कर्मचारियों को बोनस देने के लिए उत्तरदायी होगा और खरीदार से इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेगा।

➪ सेवा प्रदाता/ठेकेदार उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधनों के अनुसार निरंतर सेवा में रहे कर्मचारियों को आनुपातिक उपदान के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

एनएचएआई 10,000 किलोमीटर डिजिटल राजमार्ग का निर्माण करेगा

शिमला। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) वित्तीय वर्ष 2024 – 25 तक पूरे देश में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल (ओएफसी) के बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में काम कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल)ओएफसी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे एकीकृत उपयोगिता गलियारों का निर्माण कर डिजिटल राजमार्गों के नेटवर्क को कार्यान्वित करेगी। एनएचएलएमएल, एनएचएआई की एक पूर्ण स्वामित्व वाली एसपीवी है। दिल्ली – मुंबई एक्सप्रेसवे के लगभग 1,367 किलोमीटर और हैदराबाद – बेंगलुरू गलियारे के 512 किलोमीटर हिस्से को डिजिटल राजमार्ग विकास के लिए प्रायोगिक मार्गों के रूप में चिन्हित किया गया है।

यह ओएफसी नेटवर्क देश के सुदूर स्थानों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में नए युग की 5जी और 6जी जैसी दूरसंचार तकनीकों के त्वरित परिचालन में सहायता करेगा। हाल ही में उद्घाटित दिल्ली – मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली – दौसा – लालसोट खंड में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए तीन मीटर की चौड़ाई में समर्पित उपयोगिता गलियारे की सुविधा है। यह इस क्षेत्र में 5जी नेटवर्क की शुरुआत के लिए आधार के रूप में काम करेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे ओएफसी बिछाने का काम शुरू हो गया है और इसे लगभग एक साल में पूरा करने का लक्ष्य है।

ओएफसी नेटवर्क दूरसंचार/इंटरनेट सेवाओं के लिए सीधे प्लग – एंड – प्ले (किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को कंप्यूटर से कनेक्ट करते ही उसका उपयोग करना) या 'फाइबर – ऑन – डिमांड' मॉडल की अनुमति देगा। इसे योग्य उपयोगकर्ताओं को एक वेब पोर्टल के जरिए 'सभी के लिए खुला' आधार पर एक निश्चित मूल्य आवंटन तंत्र के अनुसार पट्टे पर दिया जाएगा। ओएफसी आवंटन नीति को दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

डिजिटल राजमार्गों के निर्माण से न केवल वृद्धि और विकास की गति को तेज करने वाला प्रभाव पड़ेगा, बल्कि यह हमारे देश के डिजिटल रूपांतरण में भी अपना योगदान देगा।

सचिवालय, निदेशालयों एवं उपायुक्त कार्यालयों में शीघ्र शुरू होगा ई-ऑफिस का उपयोग

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को 'डिजिटल नवाचारों में

प्रगतिशील राज्य' का द्वितीय सराहना पुरस्कार प्राप्त करने पर शुभकामनाएं दी हैं। कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया विशेष रूचि समूह द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई-गर्वेनेंस को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश को हाल ही में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने सराहनीय कार्य करने के लिए आईटी विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पूर्व प्रधानमंत्री स्वराजीव गांधी के 'डिजिटल इंडिया' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व दक्षता लाने के लिए सरकार ने कई ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किए हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सचिवालय, निदेशालयों और उपायुक्त कार्यालयों में ई-ऑफिस का उपयोग शीघ्र ही सुनिश्चित किया जाएगा ताकि सरकारी कार्यों में और दक्षता लायी जा सके। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए 'मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन' को और सुदृढ़ किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के डाटा बेस को एकीकृत करने के लिए एक 'एकीकृत डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली' तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से कृषि, पशुपालन, श्रम और रोजगार इत्यादि विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण के दृष्टिगत डीबीटी मैपिंग की जाएगी। एक ही स्थान पर परिवारों का उचित डाटा रखने के लिए 'हिम परिवार' नाम से एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई-कल्याण और अन्य पोर्टल के डाटा के माध्यम से परिवार के सदस्यों से संबंधित जानकारी को एकीकृत किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ.अभिषेक जैन ने बताया कि विभाग द्वारा सरकारी सेवाओं में सुधार, ई-गवर्नेंस और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक पहल की जा रही है। यह पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सुशासन और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में विभिन्न जी-टू-सी (सरकार से नागरिक) और जी-टू-बी (सरकार से व्यवसाय) सेवाएं प्रदान करने के सफल प्रयासों को मान्यता और उनकी सराहना के लिए दिया गया है।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा गरुड़ (गवर्नेंस एंड रिफॉर्मज़ यूजिंग ड्रोन्स) जैसी पहल को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। हिमाचल ऑनलाइन सेवा, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100, ई-ऑफिस, डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण), हिमस्वान (हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क), एचपीएसडीसी (हिमाचल प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर), ई-कैबिनेट, एलएमएस (लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम), आरएमएस (राजस्व प्रबंधन प्रणाली) जैसी आईटी पहलों को सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रपति ने भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया

शिमला/शैल। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी, शिमला द्वारा आयोजित भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया।

इस अवसर पर राज्यपाल शिव

प्रताप शुक्ल और मिनिस्टर इन वेटिंग, शिक्षा मंत्री, रोहित ठाकुर भी उपस्थित थे।

राष्ट्रपति ने कहा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारियों के रूप में कार्य करना सभी प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए गर्व की बात है। इसके माध्यम से उन्हें जवाबदेही एवं पारदर्शिता के सिद्धांतों को क्रियान्वित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षा के इस सर्वोच्च संस्थान की भूमिका केवल निरीक्षण तक ही सीमित नहीं है बल्कि नीति निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करना भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग और उसके सक्षम अधिकारियों के माध्यम से नियंत्रक, महालेखा परीक्षक (कैग) इन दोनों ही उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर रहा है।

राष्ट्रपति ने अधिकारियों का आहवान कि संविधान के आदर्शों को बनाए रखते हुए वे राष्ट्र निर्माण में पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।

उन्होंने कहा कि वित्तीय एकरूपता एवं जवाबदेही तथा सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा सार्वजनिक संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की देश भर में व्यापक पहचान है।

उन्होंने कहा कि यह अधिकारी केंद्र और राज्य सरकारों में लेखा और लेखा जांच सुझावों के रूप में बहुमूल्य सहयोग देते हैं और इससे सार्वजनिक नीति निर्माण में भी सहायता मिलती है।

राष्ट्रपति ने आहवान किया कि प्रशिक्षु अधिकारी अपने कार्य और व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों में उच्च स्तर की निष्ठा और ज्ञान का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य त्रुटियां खोजने की बजाय प्रक्रियाओं और नीतियों में सुधार होना चाहिए। इसलिए लेखा जांच की सिफारिशों को स्पष्टता और दृढ़ निश्चय के साथ सप्रेषित करना आवश्यक है ताकि नागरिकों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के दृष्टिगत सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए इनका उपयोग किया जा सके।

राष्ट्रपति ने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारियों को देश के नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य में निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमृत काल में भारत को विकास पथ पर अग्रसर करने में वे अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

इससे पहले, उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक परवीन मेहता ने राष्ट्रपति का स्वागत किया और प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में अवगत करवाया।

महानिदेशक, लेखा परीक्षा एवं लेखा, मनीष कुमार ने राज्यपाल एवं शिक्षा मंत्री को सम्मानित किया।

प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान के अपने अनुभव भी साझा किए।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हिमाचल के प्रतिनिधिमंडल ने ऑस्ट्रिया व स्विट्जरलैंड में रोपवे परिवहन प्रणाली का अध्ययन किया

शिमला/शैल। रोपवे परिवहन के अध्ययन के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में हिमाचल

प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल यूरोप के ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सात दिनों की यात्रा पर है। प्रतिनिधिमंडल यूरोप के एल्पाइन क्षेत्र में इंटर एलपाइन शो में भाग ले रहा है।

प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम तथा निदेशक रोपवे अजय शर्मा शामिल हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने इंटर एलपाइन का दौरा किया जहां विश्व के शीर्ष रोपवे निर्माता कंपनियों द्वारा हिमस्खलन नियंत्रण उपकरण, स्नो ग्रूमिंग मशीन इत्यादि में उपयोग की जा रही नवीनतम तकनीक और नवाचार को प्रदर्शित किया गया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां यूरोप के एल्पाइन क्षेत्र के समान है, इसलिए इन तकनीकों को अपनाने की क्षमता का गहन अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने शिमला में 1543 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली 15 किलोमीटर लंबी शहरी रोपवे परियोजना में नवीनतम और सबसे सुरक्षित तकनीक अपनाने पर बल देते हुए कहा कि इस परियोजना में 15 बोर्डिंग और डिबोर्डिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने परियोजना कार्य में शीघ्रता से कार्य करने पर जोर देते हुए सभी वैश्विक रोपवे निर्माताओं को वैश्विक निविदा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

इस दौरान ऑस्ट्रिया में मुकेश अग्निहोत्री व मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ने केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी भेंट की।

रोपवे की शीर्ष विश्व निर्माता कंपनियों ने उप मुख्यमंत्री और प्रतिनिधिमंडल से भेंट की और उन्हें नवीनतम तकनीकों और राज्य के लिए उनकी उपयुक्तता से अवगत कराया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को अपनी तकनीक हस्तांतरित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य के शहरी, दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल समाधान प्रदान करते हुए हिमाचल को एक शीर्ष पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

विक्रमादित्य सिंह ने खेल मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लिया

शिमला/शैल। लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य

सिंह ने मणिपुर के इम्फाल में आयोजित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रियों के दो दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लिया।

इस शिविर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित किया।

शिविर के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि किसी भी देश के विकास में युवाओं की सबसे अहम् भूमिका है। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा देना नितांत आवश्यक है।

उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को विश्व के पर्यावरण के लिए खतरा बताया। इससे न केवल मानव जाति बल्कि प्रकृति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि युवा ग्लोबल वार्मिंग प्रक्रिया को रोकने में अहम् भूमिका निभा सकते हैं। इसके दृष्टिगत उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के विभिन्न दुष्प्रभावों की विस्तार से जानकारी दी।

विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न युवा कल्याण योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों के विकास के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

इस शिविर के दौरान प्रतिभागी राष्ट्र निर्माण और भारत को विश्व की सबसे बड़ी खेल शक्तियों में से एक बनाने के सम्बंध में भी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। शिविर में व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्यों की दिशा में काम करने यानि विभिन्न राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में युवाओं को शामिल कर, उनके व्यक्तित्व का विकास करने पर भी चर्चाएं की जायेंगी। यह शिविर 25 अप्रैल को सम्पन्न होगा।

इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने 100 मेगावाट ऊहल-3 जलविद्युत परियोजना को मई, 2024 तक क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 100 मेगावाट ऊहल-3 जलविद्युत परियोजना को मई, 2024 तक क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस विद्युत परियोजना के क्षतिग्रस्त पेनस्टॉक को 8 माह के भीतर बदलने

के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की स्थापना में पहले ही देरी हो चुकी है और अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में परियोजना कार्य पूरा करने के लिए अथक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार परियोजना को पूरा करने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी तथा वह स्वयं इस वर्ष 15 जून, 2023 को परियोजना स्थल का भ्रमण कर इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश सरकार राज्य के सम्भावित उद्यमियों को 100 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बैंकों से इन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए सहायता भी प्रदान करेगी। उन्होंने इस योजना की रूपरेखा शीघ्र तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ ले सकें।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में प्रस्तावित छः ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना से सम्बंधित कार्यो की प्रगति की समीक्षा भी की तथा इस वर्ष अक्तूबर तक सभी ग्रीन कॉरिडोर के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगभग 1600 किलोमीटर लम्बे इन कॉरिडोर के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जायेंगे, जिनमें इन कॉरिडोर के दायरे में आने वाले शहर भी शामिल होंगे। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार ने मार्च, 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ई-बसों, ई-ट्रकों, ई-टैक्सियों और ई-माल वाहकों की खरीद पर 50 प्रतिशत का उपदान प्रदान कर रही है और ई-वाहनों को चार्ज करने के लिए राज्य में पर्याप्त आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि हिमऊर्जा को इन छः कॉरिडोर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को 200 मेगावाट की सौर परियोजनाओं को दिसंबर, 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्हें अवगत करवाया गया कि प्रथम चरण में 45 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने लाहौल-स्पीति जिले में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।

राज्य में 1 जुलाई 2023 से शुरू होगी ई.ऑफिस प्रणाली

शिमला/शैल। ई.ऑफिस सरकारी कार्यालयों में एक सरल, उत्तरदायी, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्यप्रणाली प्राप्त करने का माध्यम है। ई.ऑफिस से कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और त्वरित निर्णय लेने में सहायता मिलती है, साथ ही कार्यालय पेपरलेस भी बनते हैं।

ई.ऑफिस के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी विभागों के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए 1 जुलाई, 2023 से ई.ऑफिस प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को ई.ऑफिस प्रणाली को समयबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है और ई.ऑफिस प्रणाली इस उद्देश्य को प्राप्त करने में काफी मददगार साबित होगी। राज्य सरकार ने व्यवस्था में सुधार लाने और राज्य के लोगों को उनके घर-द्वार पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कई उपाय किए हैं जिसमें ई.ऑफिस प्रणाली का कार्यान्वयन ऐसा ही एक उपाय है।

वर्तमान में ई.ऑफिस प्रणाली 24 निदेशालयों, चार उपायुक्त कार्यालयों, एक पुलिस अधीक्षक कार्यालय और तीन क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रभावी ढंग से काम कर रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश सचिवालय की सात शाखाएं, नौ निदेशालय, दो उपायुक्त कार्यालय, चार पुलिस अधीक्षक कार्यालय और दस फील्ड कार्यालय आंशिक रूप से ई.ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं।

राज्य सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश सचिवालय की सभी 109 शाखाओं, सभी 70 निदेशालयों, सभी 12 उपायुक्त कार्यालयों, सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालयों और अन्य फील्ड कार्यालयों में ई.ऑफिस प्रणाली आरम्भ करना है। यह प्रणाली निर्णय लेने में शीघ्रता और अधिक प्रभावी प्रक्रिया के लिए अग्रणी रिकार्ड को सुव्यवस्थित बनाए रखने में सुविधा प्रदान करेगी। सरकार द्वारा ई.ऑफिस प्रणाली को लागू करने के कदम को दक्षता, उत्पादकता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने इस दिशा में महत्वाकांक्षी प्रयास करते हुए लगभग 9 वर्ष पूर्व ही पेपरलेस प्रणाली को अपना लिया था।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ई.ऑफिस प्रणाली शुरू करने के लिए दो तरफा रणनीति अपना रहा है। एक ओर हिमाचल प्रदेश सचिवालय और निदेशालय स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध करवाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा यह प्रशिक्षण मार्च, 2023 में पूर्ण कर लिया गया है तथा निदेशालय स्तर पर 10 अप्रैल, 2023 से पूर्ण रूप से आरम्भ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी तंत्र को तकनीकी प्रगति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। प्रभावी शासन के लिए सुरक्षित, सुलभ, डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ डिजिटल रूप से उन्नत राज्य बनाना ही वर्तमान सरकार का उद्देश्य है। राज्य के लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को शामिल करने की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आईटी विभाग को राज्य में डिजिटल बुनियादी ढाँचे के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभानी होगी। इसके लिए सरकार द्वारा आईटी विभाग को हरसम्भव सहायता प्रदान की जाएगी।

भांग की खेती को कानूनी वैधता प्रदान करने पर विचार कर रही प्रदेश सरकार

शिमला/शैल। भांग की खेती का इतिहास लगभग 12 हजार वर्ष पुराना है और इसे मानव द्वारा उगाई गई सबसे पुरानी फसलों में गिना जाता है। सदियों से यह खुले में प्राकृतिक तौर पर उगती रही है। एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत राज्यों को औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को साधारण अथवा विशेष आदेशों के तहत अनुमति प्रदान करने की शक्तियां निहित की गयी हैं। यह अनुमति केवल भांग के रेशे अथवा इसके बीज या बागवानी और औषधीय उपयोग के लिए ही दी जा सकती है। औद्योगिक उद्देश्य से इसका उत्पादन देश में कानूनी रूप से वैध है। नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्स्टांसिज पर राष्ट्रीय नीति में भांग को जैव ईंधन, रेशे तथा उच्च गुणों के तेल के स्रोत के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है।

वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल में भांग की खेती को कानूनी रूप से वैधता प्रदान करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भांग की वैध खेती की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के लिए राजस्व जुटाने के साथ ही यह अपने औषधीय गुणों के कारण रोगियों के उपचार में लाभप्रद है तथा इसका औद्योगिक क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकेगा। भांग की खेती वर्जित होने से कुछेक क्षेत्रों में चोरी-छिपे इसकी खेती की जा रही है। ऐसे में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसके आंतरिक तौर पर उत्पादन को भी बढ़ावा मिला। इससे उत्पादकों को नवीनतम तकनीकों के प्रयोग की संभावनाएं बढ़ने के साथ ही उन्हें कानून से बचने का रास्ता भी मिलता रहा है। यह उत्पादक अधिक नियंत्रण, वैधता और विशिष्टता के साथ भांग की खेती संचालित करते रहे हैं। वर्तमान में कुछेक राज्यों में भांग की वैध खेती करने वालों को आंतरिक अथवा खुले में खेती करने का विकल्प प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार भांग के औषधीय उपयोग की संभावनाओं पर सावधानीपूर्वक विचार कर रही है और इसके लिए विधायकों की एक पांच सदस्यीय समिति गठित की गयी है। यह समिति राज्य में भांग की खेती से जुड़े प्रत्येक पहलु का विस्तृत अध्ययन करेगी। यह समिति विभिन्न क्षेत्रों में अवैध तौर पर संचालित की जा रही भांग की खेती के स्थलों का भी दौरा करेगी और एक माह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ही प्रदेश सरकार इस बारे में कोई निर्णय लेगी।

मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर कहा कि राज्य सरकार भांग की पत्तियों और इसके बीजों के उपयोग से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही इस बारे में कोई नीति अथवा कानून बनाने पर विचार करेगी। केन्द्र सरकार ने भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछेक जिलों में भांग की खेती को वैध दर्जा प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में भी औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती की जा रही है। एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत राज्यों को भांग की खेती और इसके परिवहन का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य सरकार इस बारे में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व नियामक उपायों सहित सभी पहलुओं पर विस्तृत तौर पर गहन विचार करेगी और जिन राज्यों ने इसे कानूनी वैधता प्रदान की है, उसका भी अध्ययन किया जाएगा।

देश में कई राज्यों में भांग की खेती को कानून की परिधि में रखा गया है। उत्तराखंड वर्ष 2017 में भांग की खेती को वैधता प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसके अतिरिक्त गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी भांग की नियंत्रित खेती की जाती है। इसी प्रकार उरुग्वे, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रिया, बैल्जियम और चेक गणराज्य सहित यूरोपीय यूनियन के कुछ देशों में भी भांग की नियंत्रित खेती की अनुमति प्रदान की गयी है।

उल्लेखनीय है कि संसद ने वर्ष 1985 में भांग को एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित किया है, जिसके अन्तर्गत भांग के पौधे से रेज़िन (राल) और फूलों को निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। परंतु यह कानून भांग की खेती की विधि और औषधीय एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों से इसके अधिकतम उपयोग पर भी प्रकाश डालता है।इस अधिनियम की धारा-10 (क)(iii) राज्यों को भांग के पौधों की खेती, उत्पादन, स्वामित्व, परिवहन, खपत, उपयोग और खरीद एवं बिक्री (चरस को छोड़कर) इत्यादि पर नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

पांगी घाटी में स्थापित होंगी 400 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं

शिमला/शैल। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र चंबा जिले के पांगी उपमंडल में 400-400 किलोवाट की दो सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी हिमऊर्जा ने पांगी घाटी के हिलौर और धारवास में एक-एक हैक्टेयर भूमि चिन्हित की है। लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत की इन परियोजना के लिए एजेंसी ने विभिन्न औपचारिकताओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने हिमऊर्जा को इन दोनों सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पांगी में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित 'बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट' स्थापित करने के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में प्रावधान किया गया है। यह परियोजना क्षेत्र के लोगों को खराब मौसम और भारी बर्फबारी के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। 'बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट' स्थानीय ग्रिड से विद्युत की सुचारू आपूर्ति कर इस समस्या का समाधान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देते हुए कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, पायलट आधार पर प्रत्येक जिले में दो पंचायतों को हरित पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को भी राज्य में 250 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश सरकार इसके लिए युवाओं को 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिससे रोजगार और स्वरोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे। इन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा खरीदी जाएगी।

पांगी में 'बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट' सहित अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित होने से न केवल क्षेत्र के लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि हरित ऊर्जा राज्य बनने के समग्र लक्ष्य को हासिल करने में भी यह सहायक सिद्ध होंगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

नगर निगम का चुनाव वार्ड के मुद्दों पर केंद्रित करने का प्रयास क्यों

- शिमला की मूल समस्याओं पर कौन बात करेगा?
- एनजीटी के फैसले पर स्टे नहीं है
- इस फैसले के बाद बने निर्माणों के लिये जिम्मेदार कौन?
- शिमला प्लान अदालत रिजैक्ट कर चुकी है फिर एटिक के लिये नियमों में संशोधन कैसे संभव
- स्मार्ट सिटी में शिमला को लोहे का जंगल बनाने का प्रयास क्यों?
- क्या चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी इन सवालों पर अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे?

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला को हिमाचल माना जाता है क्योंकि राजधानी नगर होने के नाते प्रदेश के हर जिले के लोग यहां पर मिल जाते हैं। राज्य सरकार का सचिवालय और विभागों के निदेशालय तथा विश्वविद्यालय यहां होने के कारण इन अदारों में काम करने वाले कई अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद यहीं के स्थाई निवासी बन गये हैं। यह वह वर्ग होता है जो सरकार के फैसलों की गुण दोष के आधार पर सबसे पहले समीक्षा कर लेता है। शिमला नगर निगम क्षेत्र में इसी वर्ग का बहुमत है। इसलिये यहां की नगर निगम का चुनाव वार्ड की समस्याओं और उनके समाधानों के आश्वासनों पर ही आधारित नहीं रहता है। क्योंकि नगर निगम के अपने संसाधन बहुत अल्प रहते हैं और उसे हर चीज के लिये सरकार पर ही आश्रित रहना पड़ता है। इसलिये नगर निगम के चुनाव में सरकार की कारगुजारियों की एक बड़ी भूमिका रहती है। नगर निगम के चुनावों का कोई आकलन इस व्यवहारिक पक्ष को नजरअन्दाज करके नही किया जा सकता। शिमला को स्मार्ट बनाने के लिये स्मार्ट सिटी परियोजना का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी से पहले एशियन विकास बैंक से पोषित शिमला के सौन्दर्यकरण की परियोजना चल रही थी। अभी शिमला की जलापूर्ति के लिये एक विदेशी कंपनी से साइन किया गया है। यह सारी परियोजनाएं कर्ज पर आधारित हैं जिसकी भरपाई प्रदेश के हर आदमी को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करनी है। क्योंकि नगर निगम के अपने पास इस सब के लिये पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं है। शिमला एक पर्यटक स्थल भी है। यहां पर्यटकों को मैदानों जैसी सुविधाएं प्रदान करने के नाम पर पहाड़ को मैदान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा हिमाचल गंभीर भूकम्प जोन में आता है और शिमला इसमें अति संवेदनशील क्षेत्र है। 1971 में जो लक्कड़ बाजार और रिज प्रभावित हुए थे वह आज तक नहीं संभल पाये हैं। भवन निर्माण सबसे बड़ी समस्या है। अभी तक शिमला के लिये सरकार स्थाई प्लानिंग नीति नहीं बना पायी है। पिछली सरकार ने एनजीटी के निर्देशों के बाद जो प्लानिंग नीति तैयार की थी उसे अदालत रिजैक्ट कर चुकी है क्योंकि उसमें एनजीटी के निर्देशों को भी नजरअन्दाज कर दिया गया था। वोट की राजनीति के चलते दोनों दलोंकी सरकारें शिमला में नौ बार रिटैन्शन पॉलिसियां लाकर यहां की समस्याओं को बढ़ाती रही है। आज जो चुनाव चल रहा है उसमें किसी भी दल ने अभी तक शिमला की इन समस्याओं पर अपना रुख साफ नहीं किया है। बल्कि राजधानी नगर और प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम का चुनाव वार्ड के मुद्दों के गिर्द घुमाकर मूल समस्याओं पर चुप रह कर काम निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एनजीटी ने नये निर्माणों पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। सरकार इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गयी हुई है। लेकिन शीर्ष अदालत ने एनजीटी के फैसले को स्टे नहीं किया है। स्टे न होने से यह फैसला लागू है। इसके बावजूद फैसले के बाद नगर निगम क्षेत्र में सैकड़ों निर्माण एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना करके खड़े हो गये हैं जिन पर सरकार को रुख स्पष्ट करना होगा। शिमला प्लान रिजैक्ट होने के बाद भी अब एटिक को रहने योग्य बनाने के लिये नियमों में संशोधन करने की घोषणा कर दी गयी है क्योंकि चुनाव चल रहा है। क्या सरकार एनजीटी की अनुमति के बिना ऐसी घोषणा कर सकती है शायद नहीं। इसलिये आज चुनाव लड़ रहे हर प्रत्याशी और राजनीतिक दल को शिमला के मूल मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। क्योंकि एन जी टी का फैसला 2016 में आ गया था। उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाकर स्थिति को अधर में लटका कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास शिमला के हित में नही होगा।

तीन लाख स्वीकृत पदों में से 70,000 खाली सरकारों की कार्यशैली पर उठे सवाल

- प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पाचं वर्षों में की 2375 भर्तियां
- अधीनस्थ कर्मचारी सेवा चयन आयोग ने की 15,706 भर्तियां पांच वर्षों में
- 70,000 भर्तियां करने में कितना समय लगेगा अंदाजा लगाया जा सकता है

शिमला/शैल। कांग्रेस ने जनता को जो दस गारंटीयां दी है उनमें से एक प्रदेश में प्रति वर्ष एक लाख रोजगार उपलब्ध करवाना भी एक है। इस गारंटी को कैसे पूरा किया जाये इसके लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया था। इस कमेटी की जो रिपोर्ट आयी है उसके मुताबिक सरकार में कर्मचारियों के कुल तीन लाख पद स्वीकृत हैं और इनमें से 70,000 पद खाली चल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित शिक्षा विभाग है जिसमें 1,20,989 स्वीकृत पदों में से 22,974 पद खाली है। प्रदेश के लोक निर्माण, स्वास्थ्य, परिवहन, पुलिस, ग्रामीण विकास, कृषि और बिजली बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण विभाग इसमें बुरी तरह प्रभावित हैं। इतने खाली पदों से यह सवाल उठता है कि एक ओर तो इतने खाली पद चल रहे हैं और दूसरी ओर आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां की जाती रही हैं। आउटसोर्स के माध्यम से हजारों कर्मचारी भर्ती किये गये हैं और हर बार इनके नियमितीकरण की मांग उठती है। हर बार नीति बनाने का आश्वासन दिया जाता है। आउटसोर्स उपलब्ध करवाने वाली कंपनियां कर्मचारी हितों का कितना ध्यान रखती है यह बजट सत्र में क्लीनवेज कंपनी पर उठी बहस से स्पष्ट हो गया है। इस कंपनी को 40 करोड़ दिये गये हैं और इस पर जांच करवाने की बात सदन में की गयी है जिस पर अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। तीन लाख स्वीकृत पदों में से 70,000 का खाली होना यह स्पष्ट करता है कि इससे सरकार का कामकाज कितना प्रभावित हो रहा है और उसका जनता पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति से यह सवाल भी उठता है कि प्रदेश में रोजगार और निवेश लाने के लिए इन्वेस्टर मीट किये गये थे। उनके व्यवहारिक परिणाम शायद दावों के अनुसार नहीं रहे हैं। इसलिये सरकार को यह फैसला लेना होगा कि इतने खाली पदों को भरने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाये। क्योंकि प्रदेश में कर्मचारियों की भर्ती प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ कर्मचारी सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाती है। लेकिन लोक सेवा आयोग ने 2018 से 2020 तक केवल 2375 पदों पर भर्ती की है। कर्मचारी चयन आयोग ने 5 वर्ष में 15,706 पदों पर भर्ती की है। अब कर्मचारी चयन आयोग भंग कर दिया गया है और उसका काम भी लोक सेवा आयोग को दे दिया गया है। लोकसेवा आयोग की भर्तियों को लेकर जो स्पीड रही है उससे यह भर्तियां करने में तो कई वर्ष लग जायेंगे। ऐसे में सरकार को कर्मचारी चयन आयोग को बहाल कर के नये सिरे से क्रियाशील बनाना होगा। इसी के साथ आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां करने पर भी पुनःविचार करना होगा। क्योंकि अब तक जो कुछ सामने आ चुका है उसके मुताबिक यह कुछ लोगों के लिए मोटे कमीशन का सोर्स बनकर रह गया है।